

हिन्दी प्रादेशिक समाचार

आकाशवाणी चंडीगढ़

(तिथि 01 मार्च 2025, समय 1305 (5 मिनट))

देशभर में आज से जन औषधि जन चेतना सप्ताह का शुभारंभ हुआ। यह कार्यक्रम सात मार्च तक चलेगा। इस अवसर पर आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के रथ और दस अन्य वाहनों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रही। श्री नड्डा ने सभी लोगों से प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना को एक जन आंदोलन बनाने का आग्रह किया। उन्होंने लोगों से अपने संबंधियों और मित्रों को इस परियोजना के बारे में जानकारी देने का भी आग्रह किया ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। श्री नड्डा ने कहा कि लोगों को कम दाम पर दवाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व है और सरकार ने अपना दायित्व निभाया है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जन औषधि जन चेतना सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जागरूक किया जायेगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से पहले देशभर में मात्र 80 जन औषधि केंद्र थे लेकिन इनकी संख्या बढ़कर 15 हजार से अधिक हो गई है।

हरियाणा के राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया है कि राज्य में कल होने वाले शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्वक, पारदर्शी तथा निष्पक्ष ंग से करवाने के लिए व्यापक प्रबंध किये गये हैं।

श्री धनपत सिंह ने बताया कि कुल 7 नगर निगमों, गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, हिसार, रोहतक, करनाल, एवं यमुनानगर के महापौर तथा सभी वार्डों के सदस्यों के लिए, अम्बाला एवं सोनीपत नगर निगम के महापौर के उप चुनाव के लिए मतदान होगा। इसी प्रकार अम्बाला सदर, पटौदी जटौली मंडी, थानेसर एवं सिरसा 4 नगर परिषदों प्रधान तथा सभी वार्ड सदस्यों के लिए और सोहना नगर परिषद में प्रधान पद के उप चुनाव के लिए मतदान होगा। इनके अलावा 21 नगर पालिकाओं के प्रधान पद तथा सभी वार्डों के सदस्यों चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। साथ ही असंध, जिला करनाल एवं इस्माईलाबाद नगर पालिका के प्रधान पद के लिए होने वाले उप चुनाव के लिए भी मतदान कुल ही होगा। उन्होंने बताया कि 9 नगर निगमों में महापौर के पद के लिए 39 प्रत्याशी मैदान में हैं जिसमें गुरुग्राम एवं अम्बाला नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों में सीधी टक्कर है। इसी प्रकार 5 नगर परिषदों के प्रधान पद के लिए कुल 27 उम्मीदवार मैदान में हैं। जहां तक नगरपालिकाओं का सम्बन्ध है वहां 23 नगर पालिकाओं में प्रधान पद के लिए 151 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि कि नगर निगम, फरीदाबाद के वार्ड 36, नगर निगम गुरुग्राम के वार्ड 22, नगर निगम करनाल के वार्ड 8 एवं 11 तथा नगर निगम यमुनानगर के वार्ड 9 के प्रत्याशी बिना मुकाबला चुने गए हैं।। इसी प्रकार नगर परिषद, अंबाला के वार्ड 24 एवं नगर परिषद थानेसर के वार्ड 7 और 32 के प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिये गये हैं। इनके अलावा नगरपालिकाओं में 17 वार्ड सदस्यों निर्विरोध चुने गये हैं। उन्होंने बताया कि जिन नगर निगमों में महापौर व वार्ड सदस्यों, नगर परिषदों में प्रधान तथा वार्ड सदस्यों एवं नगर पालिकाओं में प्रधान तथा वार्ड सदस्यों के लिए चुनाव है, वहां पर दो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मतदान करवाया जाएगा। जिनमें से एक महापौर व प्रधान पद के लिए तथा दूसरी वार्ड सदस्य के चुनाव के लिए होंगी। और जिन स्थानों पर केवल उपचुनाव है वहां पर केवल एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ही मतदान करवाया जाएगा।

हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर सुरक्षा के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि कुल 393 मतदान केंद्र संवेदनशील एवं 531 अति संवेदनशील चिन्हित किये गए हैं। इन इन मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्वक ढंग से चुनाव करवाने के लिए एक-एक अतिरिक्त पुलिस कर्मी की व्यवस्था की जाएगी तथा मोबाइल पुलिस पार्टी भी इन सभी मतदान केन्द्रों का लगातार दौरा करेगी। सामान्य चुनाव पर्यवेक्षकों एवं पुलिस चुनाव पर्यवेक्षकों को भी इन मतदान केंद्रों पर विशेष निगरानी रखने के लिए आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि गुरुग्राम नगर निगम में 163 संवेदनशील एवं 256 अति संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित किये गये हैं। इसी प्रकार रोहतक नगर निगम में 68 संवेदनशील और 72 अति संवेदनशील मतदान केन्द्र चिन्हित किये गये हैं। हिसार नगर निगम में 42 अति संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किये गये हैं। संवेदनशील तथा अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ साथ सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ भी वीडियोग्राफी की टीम मौजूद रहेगी ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी स्थान पर वीडियोग्राफी की जा सके। शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में 55 लाख से अधिक मतदाता लेंगे भाग इनमें लगभग 27 लाख पुरुष 24 लाख महिला एवं 184 अन्य मतदाता हैं जो 5126 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।

श्री धनपत सिंह ने बताया है कि चुनाव शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष रूप से करवाने के लिए शराबबंदी लागू कर दी गई है। शराबबंदी 2 मार्च को मतदान पूर्ण होने तक लागू रहेगी।